

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 10(1)चिस्वा/2/2019/आईडी-1479

जयपुर,दिनांक: 20.6.18

निदेशक (जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।


विषय:- डॉ. कमल सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण कराने एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. कमल सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 02.05.2016 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के पश्चात पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनपस्थिति अंधि के लिए इनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


डॉ. कमल सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन सामान्य चिकित्सालय, नीम का थाना, जिला-सीकर में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

भवदीय,

  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. डॉ. कमल सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी जरिये निदेशक (जन. स्वा.)
5. निजी/रक्षितपत्रावली।

  
(ओ.पी. वर्मा)  
सहायक शासन सचिव

2

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक ई/निअ/के-032/2016/18)

दिनांक 01/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही / सीकर / अलवर को भेज कर लेख है कि डॉ० कमल सिंह शेखावत चिकित्सा अधिकारी के दिनांक 02.06.2016 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के पश्चात पुनः कार्यग्रहण कराने तक अवधि के लिए उनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत आरोप पत्रादि के छः सैट तैयार कर सात दिवस में अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय को भिजवावें जिससे राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके।
3. सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, नीम का थाना सीकर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वरूपगज/सिरोंही/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिटी डिस्पेन्सरी, नारायणपुर अलवर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी/एटीसी मुख्यालय।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय अनुभाग राजपत्रित, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. डॉ० कमल सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी निवासी-एस-। प्लॉट नम्बर 380 गणेश नगर मेन, निवारू रोड झोटवाडा जयपुर 302012 मोबाईल नम्बर 8875759528 स्थाई निवासी ग्राम नवल सिंह की गढी, पोस्ट-दुहार चौगान, तहसिल थानागाजी जिला अलवर पिनकोड नम्बर 301022 को पालनार्थ।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
अति०निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज० जयपुर